कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

Email id: nodalofficerddn@gmail.com Phone/Fax: 0135 2767611

संख्याः– 3036 / FP/UK/ROAD/18062/2016 देहरादूनः दिनांक 17 जून, 2023

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, 25–सुभाष रोड़,
देहरादून।

विषय :– जनपद–चम्पावत के विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत बिरमोला–रायल मोटर मार्ग का नव निर्माण प्रस्ताव संख्या (FP/UK/ROAD/18062/2016)

संदर्भ :– भारत सरकार की पत्र संख्या 8बी/यू.सी.पी./06/118/2016/887 दिनांक 26.09.2022

महोदय,

विषयांकित प्रकरण पर भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित **EDS** दिनांक **26.09.2022** के द्वारा चाही गयी सूचना वं सम्बन्ध में वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, अल्मोड़ा के पत्रांक 3480/12–1(2) दिनांक 12.06.2023 से प्राप्त आख्या/सूचन निम्नानुसार प्रेषित की जा रही है :–

क्र.स.	भारत सरकार द्वारा उल्लिखित बिन्दु	प्रतिउत्तर
1	राज्य सरकार द्वारा ऑनलाईन पोर्टल पर अपलोड की गई के0एम0एल0 फाईल के अवलोकन उपरान्त वैकल्पिक समरेखण अधिक उपयुक्त प्रतीत हो रहा है। अतः राज्य सरकार इस पर अपना स्पष्ट प्रतिवेदन प्रेषित करने का कष्ट करें।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि के0एम0एल0 फाईल के अवलोकन वैकल्पिक समरेखण अधिक उपयुक्त प्रतीत हो रहा है इस क्रम में अवगत कराना है कि क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति अनुसार प्रस्तावित समरेखण का ग्रेड विभागीय मानकों के अनुसार अधिक उपयुक्त है जिसमें पेड़ों का पातन भी कम होगा। इस हेतु वन भूमि प्रस्ताव गठन से पूर्व समरेखण प्रस्ताव विभागीय सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाता है। अतः तकनीकी दृष्टि से प्रस्तावित समरेखण (मानचित्र में लाल रंग दर्शाया गया है) अधिक उपयुक्त है एवं इसी अनुसार की वन भूमि प्रस्ताव गठित किया गया है।
2	राज्य सरकार वृक्षों की वर्तमान स्थिति एवं मार्ग की वर्तमान आवश्यकता को स्पष्ट करते हुये लगभग 3 वर्षो के विलम्ब के कारणों को स्पष्ट करते हुए जानकारी इस कार्यालय में प्रेषित करने का कष्ट करें।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि विषयगत मार्ग 4 कि0मी0 की लम्बाई में मात्र 58 वृक्ष विभिन्न प्रजाति के प्रभावित हो रहे है जिसमें हरियाली घनत्व 0.3 है। साथ ही समय–समय पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल चयन करते हुए अग्रसारित किये जाते रहे है। प्रारम्भ में सिविल भूमि चयनित की गई थी, जो कि जांचो उपरान्त M.D.F/V.D.F. पाये जाने तदउपरान्त अवनत वन भूमि डुगाराबॉकू कं0न0–12 में चयनित की गई थी, उक्त स्थल M.D.F पाया गया। पुनः नवीनतम स्थल उपलब्ध कराये जाने बावत खण्ड द्वारा लगातार पत्राचार किया जाता रहा। स्थल उपलब्ध होने उपरान्त स्थल का संयुक्त निरीक्षण करते हुए स्थल के जी0पी0एस0 प्राप्त कर आई0टी0 सेल देहरादून से मानचित्र आदि प्राप्त कर विभिन्न स्तरों से प्रतिहस्ताक्षर उपरान्त ऑनलाईन करते हुए अग्रसारित किये जाते रहे है, जिसमें समय लगना स्वाभाविक है।

3	सी0 ए0 क्षेत्र का डी0एस0एस0 विश्लेषण के उपरान्त चयनित अवनत भूमि में से 9.00 हे0 क्षेत्र Moderate Dense Forest के अन्तर्गत आ रहा है। जो कि मान्य नहीं है अतः राज्य सरकार से अनुरोध है कि सी0ए0 हेतु उपयुक्त भूमि का चयन कर इस कार्यालय में प्रेषित करने का कष्ट करें।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव 2.643 हे0 होने के कारण क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु मात्र 5.286 हे0 क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल की आवश्यकता है, जिस हेतु इस कार्यालय का पत्रांक–3616/12–1 दिनांक 19.04.2023 द्वारा उपलब्ध कराये गये अवनत वन भूमि पूर्वी देवीधूरा धूनाघाट क0नं0– 25, 26 में 5.286 हे0 के मानचित्र, योजना, स्थल उपयुक्तता प्रमाण–पत्र तैयार कर पुनः संशोधित कर प्रेषित किये जा रहे है।

अतः प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत यथोचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,

(एस0एस0 रसाईली)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं
नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,

संख्या 3086 / FP/UK/ROAD/18062/2016 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवकश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1- वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, अल्मोड़ा के पत्रांक 3480/12–1(2) दिनांक 12.06.2023 के कम में।
2- प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत।

27/6/23

(एस0एस0 रसाईली)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं
नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,